यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्षा द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के माह 01/2017 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री कुलदीप सिंह पँवार, लेखापरीक्षक, श्री महेश चंद, पर्यवेक्षक, श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.01.2021 से 19.01.2021 तक श्री पी. के. गुप्ता, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामसनेही, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री एस. के. डंग, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 17.01.2017 से 20.01.2017 तक श्री पी. सी. श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया। जिसमे माह 01/2014 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2017 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: उत्तराखण्ड

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है -

(`लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		अधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2017-18	-	-	112.74	11.74	48.96	48.96	-	
2018-19	-	-	74.27	74.27	48.60	48.60	-	
2019-20	-	-	85.88	52.81	68.38	68.38	33.07	
2020-21 (up to 12/2020)	-	-	76.35	37.49	56.63	39.26	56.23	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य(+)	बचत(-)
			शून्य		

(iii) इकाई को बजट आवंटन (राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। गैरस्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई कार्यालय राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून 'सी' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है-

मा0 अध्यक्ष
मा0 सदस्य
सचिव
प्रधान सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में लेनदेन, अनुपालन को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2018 एवं 03/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के(कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13, 14 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

---------शून्य--------

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 01:- उत्तखण्ड पुलिस एवं संशोधित अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित न किया जाना।

Sections of Uttarakhand Police Act, 2007 and Uttarakhand Police(Amendment) Act 2018 state as under;

A) Section 64 of the Act states that State shall constitute a State Police Complaint Authority consisting of Chairperson and maximum four other members and further states that amongst members one member should be a woman and not more than one member should be police officer.

B) Section 70 of the Act states that Authority shall frame its own Rules for conduct of its business with the approval of the Government.

C) Section 71 (6) state that Authority may suggest general guidelines for the State Police to prevent misconduct on the part of police personnel's,

D) Section 73 (2) of the Act state that annual report of the Authority shall be laid before the State Assembly. The report shall be a public document which shall be accessible to the public.

E) As per Uttarakhand Government (Home) order dated 29.03.2016 which states that Authority can hire retired persons from CID, Intelligence, Vigilance and other Enquiry Agencies for helping in conducting field enquires.

कार्यालय सचिव राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण उत्तराखण्ड, देहरादून की जाँच में पाया गया कि-

A बिन्दु के अनुसार वर्तमान कार्यकारणी समिति जिनकी नियुक्ती 12/2020 में हुई थी, में महिला सदस्य की नियुक्ति नही की गयी थी। जबकि अधिनियम के अनुसार अनिवार्य रूप से महिला सदस्य को नियुक्त किया जाना चाहिए था।

B बिन्दु के अनुसार शासन की स्वीकृति से प्राधिकरण के कार्यप्रणाली को निष्पादन हेतु नियमावली बनाई जानी चाहिऐ थी जो कि सम्पेक्षा अविध (01/2021) तक नही बनायी गयी थी।

C बिन्दु के अनुसार राज्य में पुलिस कर्मियों द्वारा दुराचार को रोकने के लिऐ सामान्य दिशा निर्देशो हेतु सुझाव नही दिये गये थे।

D बिन्दु के अनुसार शासन के माध्यम सें वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखी जाती है, परन्तु प्रतिवेदन को सामान्य जनमानस की जानकारी हेतु नही रखा जाता है।

E बिन्दु के अनुसार सम्प्रेक्षा अवधि में प्राधिकरण किसी भी जाँच ऐजेन्सी (CID, Intelligence, Vigilance) के सेवानिवृत कार्मिक की नियुक्ति नही की गयी थी। जाँच में यह पाया गया कि जाँच स्थल पर किसी भी प्रकार की पूछताछ हेतु शिकायत पुलिस अधिकारी से उच्च पुलिस अधिकारी से सम्बन्धित शिकायत आख्या प्राप्त की जाती है। इसे अतरिक्त प्राधिकरण ने लेखापरीक्षा अवधि में प्रचार प्रसार मद में कोई भी व्यय नही किया गया। आगे यह भी पाया गया कि प्राधिकरण की अपनी कोई बेवसाइट नही है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर सचिव ने अवगत कराया कि सदस्यगणों की नियुक्ति शासन स्तर से की जाती है एवं प्राधिकरण की बेवसाइट बनाने की कार्यवाही गतिमान है जिससे आम जनता को प्रति जागरूक किया जा सके।उत्तर मान्य नही है क्याकि प्राधिकरण समिति में महिला सदस्य की नियुक्ति के बारे मे शासन को अवगत कराया जाना चाहिए था एवं नियमावली के अनुसार समिति में एक महिला सदस्य की नियुक्ति अनिवार्य रूप सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। प्राधिकरण के गठन के 12 वर्षो के पश्चात भी कार्यालय के कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने हेतु नियमावली नही बनायी गयी। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की बेवसाईट न होने के कारण जनमानस प्रधिकरण के किय्राकलापों से वंचित है।

अतः उत्तराखण्ड पुलिस एवं संशोधित अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01- शासन द्वारा स्वीकृत/आवंटित मद के विपरीत रू.1.08 लाख अन्य मदों में व्यापवर्तन(Diversion) कर व्यय करना ।

शासनादेश संख्या-136/XXXII(I)/2014 दिनाँकः 27 दिसम्बर, 2017 के अनुसार मद 12 में कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, 26 मशीन और सज्जा/उपकरण क्रय 17 किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व, मद 19 विज्ञापन, बिक्री और विज्ञापन 08 कार्यालय व्यय किया जाने का प्रावधान है।

कार्यालय सचिव राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2017-18 से 2019-20 एवं 2020-21(12/2020 तक) के बाउचर अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा व्यापवर्तन कर धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत/आवंटित मद में न कर अन्य मदों से व्यय किया गया है जो कि अनुमन्य नही है। ऐसे किये गये व्यय का विवरण निम्न हैः-

क्र0 सं0	बिल सं.	दिनाँक	मद जिसमें व्यय किया गया	अनुमन्य मद	धनराशि
01	801	12.03.18	08 कार्यालय व्यय	12 कार्यालय फर्निचर एवं उपकरण	2950
02	002	20.07.20	08 कार्यालय व्यय	26 मशीन और सज्जा/उपकरण	15250
03	-	01.07.19	02 मजदूरी	17 किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	45900
04	522	20.11.19	08 कार्यालय व्यय	19 विज्ञापन, बिक्री और विज्ञापन	2800
05	005	17.05.19	15 गाडियों का अनुरक्षण और	08 कार्यालय व्यय	5734
06	005	23.07.19	15 गाडियों का अनुरक्षण और	08 कार्यालय व्यय	5834
07	005	20.09.19	15 गाडियों का अनुरक्षण और	08 कार्यालय व्यय	1113
08	373	21.07.18	08 कार्यालय व्यय	26 मशीन और सज्जा/उपकरण	23550
				योग	**107852**

इस प्रकार इकाई द्वारा उपरोक्त सारणी में उल्लेखित व्यय धनराशि रू 1.08 लाख में नियमों का उल्लंघन कर आवंटित मदों की धनराशि को व्यापवर्तन कर अन्य मदों मे व्यय किया गया जो कि शासनादेश का उल्लंघन है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि भविष्य के लिए जिस मद के लिए शासन से आंवटित किया, उसी मद में व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि होती है। अतः शासन द्वारा स्वीकृत/आवंटित मद के विपरीत रू.1.08 लाख अन्य मदों में व्यापवर्तन (Diversion) कर व्यय करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
सा0क्षे0/ले0प0प्रति0- 34/2013-14	-	1,2,3	-
43/2016-17	-	1	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
34/2013-14	**भाग दो 'ब' प्रस्तर 1-** रू. 14.50 लाख के वाहन के क्रय पर अनियमित व्यय। **भाग दो 'ब' प्रस्तर 2-** रू. 6.31 लाख भुगतान का रोकड़ बही में दर्ज न किया जाना। **भाग दो 'ब' प्रस्तर 3-** रु. 49800 के लैपटॉप का क्रय D.G.S.D. के दरों पर न किया जाना।	-	-	-
43/2016-17	**भाग दो 'ब' प्रस्तर-1-** धनराशि रु. 1.32 लाख का मरम्मत कार्य टुकडों में कराया जाना।	-	-	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य- शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य

2. सतत् अनियमिततायें: शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कबसे	कबतक
1.	श्री अजय चौधरी	सचिव	09.05.2016	07.12.2018
2.	सुश्री निविदिता कुमार कुकरेती	सचिव	08.02.2018	01.07.2019
3.	सुश्री अंजुश्री जुयाल	सचिव	02.07.2019	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ए.एम.जी.-III को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III